आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 578 से 580 /इंदौर/ 2014
निर्धारण वर्ष : 2000-01 से 2002-03

मे. एम.पी.केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, उज्जैन	बनाम	आयकर अधिकारी, 2 (1), उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएएएम 8234 एच		

अपीलार्थी की ओर से :	कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री के.जी.गोयल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि

सुनवाई तिथि :	24.05.2018
उद्घोषणा तिथि :	25.05.2018

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2002-03 के लिए निर्धारिती द्वारा ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), उज्जैन के अलग-अलग आदेशों क्रमशः दिनांक 06.06.2014 तथा 17.06.2014 के विरुद्ध दाखिल की गई हैं । इन अपीलों की सुनवाई के समय निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जबकि राजस्व की ओर से श्री के.जी.गोयल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए ।

2. ये अपीले निर्धारिती द्वारा 08.09.2014 को दाखिल की गई जैसा कि इन अपीलों की आदेश पत्रक प्रविष्टियों से प्रकट है । ये अपीले पूर्व में अधिकरण के आदेश दिनांक 04.01.2016 के द्वारा अभियोजन नहीं करने के कारण खारिज की गई थी । तत्पश्चात निर्धारिती द्वारा विविध आवेदन दाखिल किये गये जिसे स्वीकृत करते हुए न्यायपीठ द्वारा आदेश दिनांक 19.08.2016 के द्वारा इन अपीलों को सुनवाई हेतु वापिस बुलाया गया । तदुपरांत ये अपीलें अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई हेतु नियत की गई परंतु अधिकांशतः निर्धारिती के निवेदन पर इन्हें स्थगित किया गया । इन अपीलों की पिछली सुनवाई दिनांक 07.02.2018 को नियत थी जिसे निर्धारिती के लिखित निवेदन पर दिनांक 24.05.2018 हेतु स्थगित किया गया था । यद्यपि, दिनांक 24.05.2018 को इन अपीलों की सुनवाई के समय न तो निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित हुआ न ही कोई स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया । यह प्रतीत होता है कि निर्धारिती उसकी अपीलों को जारी रखने का इच्छुक नहीं है । अतः, इन्हें अनिश्चित अवधि तक न्यायनिर्णयन हेतु लंबित नहीं रखा जा सकता। इस तथ्य की दृष्टि में, हमारा अभिमत है कि निर्धारिती की अपीलें खारिज करने योग्य हैं । हमारा दृष्टिकोण निम्नलिखित न्यायिक उद्घोषणाओं द्वारा समर्थित है -

1) 118 आईटीआर 461 में ज्ञापित (सुसंगत पृष्ठ 477 एवं 478) आयकर आयुक्त बनाम बी.एन. भट्टाचार्जी तथा अन्य के प्रकरण में, जिसमें न्यायाधिकारियों ने अभिधारित किया है-

    " अपील का अर्थ केवल अपील दाखिल करना नहीं बल्कि उसका प्रभावी अनुसरण है।"

2) इस्टेट ऑफ तुकोजीराव होलकर बनाम धनकर आयुक्त के प्रकरण, 223 आईटीआर 480 (म.प्र.), में निर्धारिती की प्रार्थना पर किए गए संदर्भ को व्यतिक्रम में खारिज करते हुए उनके आदेश में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया :

    " यदि कोई पक्ष, जिसके अनुरोध पर संदर्भ किया गया है, सुनवाई में उपस्थित होने में विफल होता है या अभिलेख पुस्तिका तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने में, ताकि संदर्भ की सुनवाई की जा

सकें, विफल होता है, तो न्यायालय संदर्भ का उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं है।"

3) आयकर आयुक्त बनाम मल्टीप्लान इन्डिया लिमिटेड के प्रकरण, 38 आईटीडी 320 (दिल्ली), में राजस्व द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल की गई थी जिसे सुनवाई हेतु नियत किया गया था। परंतु सुनवाई की तारीख पर, किसी ने राजस्व/ अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व नहीं किया न ही स्थगन हेतु कोई सूचना प्राप्त हुई थी। ऐसी कोई संसूचना या जानकारी नहीं थी कि क्यो राजस्व ने तारीख पर अनुपस्थित होने का विकल्प चुना। अधिकरण ने अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर, अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 19 के उपबंधों की दृष्टि में राजस्व द्वारा दाखिल अपील को अग्राह्य माना।

परिणामतः, निर्धारिती द्वारा दाखिल अपीलें अभियोजन नहीं करने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 25.05.2018 को खुले न्यायालय में विद्वान विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(कुल भारत)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 25.05.2018

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल